

समान विधायक मुकदमा संख्या 01/97-98 कैम्प राजासक
 हल्का मुल्गालप मानगी जिला पूर्वी सिन्धुत जमशेदपुर
आदेश

24/4/97

आज दिनांक 26/4/97 के अज्ञात हल्का मुल्गालप
 मानगी में राजस्व अधिकारी का आपत्क विना गया। जिसमें विभिन्न
 माहों को लेकर रैमण्ड उपस्थित हुई। अचल अधिकारी जमशेदपुर
 अचल निरीक्षक हल्का कर्मचारी अधिकारी में ही जांच कराया गया।
 अचल अधिकारी अचल निरीक्षक हल्का कर्मचारी को परिवर्तन करने
 है। जिसके अंतर्गत रैमण्ड को आदेश देकर है कि रूप में जांच
 की जावकारी दी गई कि किसी को किसी प्रकार भी आपत्ति नहीं
 दिया जाता द्वारा लगान निर्धारण से सम्बन्धित आवेदन जिसके
 जमापालप में अतिरिक्त बिन्दु गुरु निष्काजीवन मानगी में प्राप्त जांच
 परिवर्तन से पता चलता है कि सभी मानगी रैमण्टी पाला के
 अतिरिक्त कालम में दर्ज अतिरिक्त लगान से सम्बन्धित है, तथा सकारी
 होने निकल एवं आदेशके अन्तर्गत लगान निर्धारण को लगानकी कटौती
 करने लायक है। सभी आवेदनों में उल्लेख विधि से वातावरण की क्षति
 प्रदान किम जा अतिरिक्त के साथ अलग है।

अतः उपरोक्त स्थिति में निम्नलिखित आवेदनों द्वारा प्रदान
 नाम के साथ दर्ज जमांक का लगान निर्धारण हेतु आवेदन किया
 गया है। हल्का कर्मचारी द्वारा टे-2 रोल के आधार पर ही जमांक
 का अन्तर्गत अतिरिक्त की धारा 139 कला 37 (2) के सब कलम 37
 (1) के अन्तर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचना सं 5028 हल्का
 दिनांक 16-6-66 के अन्तर्गत भूक सुधार उपस्थान की द्वारा उपयुक्त
 की प्रकर अधिसूचना का उपयोग करते हुए लगान निर्धारण की प्रतीति
 दी जाती है। निम्नका दर निम्नलिखित विधायक के कालम
 (3) में अंकित किया गया है इस प्रकार आवेदित भूक
 लगान निर्धारण की प्रतीति दी जाती है जो अज्ञात
 1 से 3 तक अंकित है।

क्रमांक नाम एवं पता नर्स नमो लाला नौरत नका लाला लाला

1. मोहन लाला लाला पिता मोहन लाला मानगी	8 मार्च	1249	1047 004 10
2. लाला लाला पिता लाला लाला	10 मार्च	213	1047 004 10

